अपील सूचना अधिकार संख्या 23/2018 कृष्ण कुक्कड़ पुत्र श्री शिवराम जाति अरोड़ा निवासी 1/103 हाऊसिंग बोर्ड,श्रीगंगानगर बनाम अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), राज्य लोक सूचना अधिकारी, श्रीगंगानगर

09–05–2018

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री कृष्ण कुक्कड़ उपस्थित है, आज पुनः बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी श्री कृष्ण कुक्कड़, अधिवक्ता का कथन था कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनिमय 2005 की धारा 6(3) के तहत एक प्रार्थना पत्र जिला कलक्टर कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी श्रीगंगानगर को दिनांक 08.03.2018 के तहत 5 बिन्दुओं की सूचना के लिए 10/– रूपये के पोस्टल ऑर्डर सहित पेश किया था, जिस पर राज्य लोक सूचना अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपीलार्थी को अपने पत्र दिनांक 28.03.2018 के द्वारा सूचित किया कि सूचना के अधिकार के तहत चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में किसी कार्य दिवस को कार्यालय में उपस्थित होकर कार्यालय रिकॉर्ड का निरीक्षण कर विशिष्टयां अंकित करें, ताकि वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाई जा सके। उनका आगे कथन था कि कार्यालय द्वारा उनको सूचनाओं से सम्बन्धित अभिलेख निरीक्षण हेतु उपलब्ध करवाये जाने पर **अभिलेख में उनके द्वारा फ्लैग लगाकर दिये जाने** के बावजूद भी उनका प्रार्थना पत्र दिनांक 08.03.2018 आदेश दिनांक 06.04.2018 के द्वारा जानबूझकर खारिज कर दिया गया, जो सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के विपरीत है। इसलिए उक्त आदेश दिनांक 06.04.2018 की अप्रसन्नता यह अपील दिनांक 10.04.2018 को अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत कर प्रार्थना की है कि लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर का आदेश दिनांक 06.04.2018 निरस्त किया जावे एवं जानबूझकर वांछित सूचना उपलब्ध न करवाने के कारण राज्य लोक सूचना अधिकारी के खिलाफ राज्य सरकार से विधिसम्मत कार्यवाही करने की सिफारिश की जावे एवं उसे वांछित सूचनाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाई जावे।

मैने अपीलार्थी श्री कृष्ण कुक्कड़ के उक्त तर्को पर मनन किया एवं अपीलार्थी के अपील पत्र एवं उस पर प्रस्तुत टिप्पणी दिनांक 19.04.2018 एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा परित आदेश दिनांक 06.04.2018 का भी ध्यान पूर्वक अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री कृष्ण कुक्कड़, अधिवक्ता ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 08.03.2018 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी पदेन जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:–

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

2.1 श्रीगंगानगर में मेडिकल कॉलेज निर्माण हेतु राजस्थान सरकार एवं बी.डी. अग्रवाल के मध्य सम्पन्न हुए एमओयू की प्रति दी जावे।

2.2 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में बी.डी. अग्रवाल द्वारा कॉलेज निर्माण कार्य में बाधा पैदा करने के आरोप में दायर रिट याचिका में 15 मई 2015 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना में 15 मई 2015 से 07 मार्च 2018 तक अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, श्रीगंगानगर द्वारा मैडिकल कॉलेज निर्माण कार्य का निरीक्षण करके तैयार प्रगति रिपोर्ट, निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री इत्यादि के अभिलेख की प्रतियां दी जावे।

2.3 आवेदक द्वारा 12 फरवरी 2018 को जनहित में मेडिकल कॉलेज के विवादित निर्माण कार्य बाबत पेश किए ज्ञापन की प्रति दी जावें

2.4 आवेदक द्वारा पेश ज्ञापन पर की गई कार्यवाही की प्रति दी जावे।

2.5 मेडिकल कॉलेज निर्माण सम्बन्धी पत्रावाली पर उपलब्ध नोटशीट एवं मेडिकल कॉलेज का निर्माण एमओयू की नियत अवधि 30 जून 2018 तक सुनिश्चित करने हेतु बी.डी. अग्रवाल एवं सरकार द्वारा की गई कार्यवाही से सम्बन्धित संधारित तमाम अभिलेख, आदेश, पत्राचार की प्रतियां दी जावे।

उक्त सूचनाओं के सम्बन्ध में अपीलार्थी को अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), राज्य लोक सूचना अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्र संख्या एफ41(1)(1)विविध(सूकाअ)/विकास/2018/2440 दिनांक 28.03.2018 से निम्न प्रकार सूचित किया :

उपुर्यक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा सूचना के अधिकार के तहत चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में सूचित कर लेख है कि आप कार्य दिवस में कार्यालय में उपस्थित होकर उपलब्ध कार्यालय रिकॉर्ड का निरीक्षण कर विशिष्टियां अंकित कर अवगत करवायें ताकि वांछित सूचना उपलब्ध करवाई जा सके।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त पत्र दिनांक 28.03.2018 के संदर्भ में अपीलार्थी ने 03.04.2018 को रिकॉर्ड का निरीक्षण किया और **प्रार्थी के अनुसार उसने सूचनाओं के सम्बन्ध में कार्यालय अभिलेख में फ्लैग लगाकर सूचना हेतु निवेदन किया,** किन्तु उसे वांछित सूचनाएं उपलब्ध नहीं करवाई गई और उसका प्रार्थना दिनांक 08.03.2018 खारिज कर दिया गया।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) एवं लोक सूचना अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने आदेश क्रमांक 2706 दिनांक 06.04.2018 द्वारा अपीलार्थी को निम्न प्रकर से सूचित किया :

> **उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक प्रार्थना पत्र के संदर्भ में लेख है कि इस कार्यालय के पृष्ठांकन 2440 दिनांक 28.03.2018 द्वारा आपको रिकॉर्ड के निरीक्षण हेतु लिखा गया, जिस पर आप द्वारा दिनांक 03.04.2018 को रिकॉर्ड का निरीक्षण किया गया।**
>
> **आप द्वारा गये रिकॉर्ड निरीक्षण के सम्बन्ध में लेख है कि वांछित सूचना की विशिष्टियां अंकित कर निर्धारित प्रपत्र में आवेदन शुल्क सहित आवेदन करें ताकि अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा सके। आपका आवेदन प्रार्थना पत्र दिनांक 08.03.2016 दाखिल दफ्तर कर सूचनार्थ प्रेषित है।**

चूंकि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 08.03.2018 में अंकित पांच बिन्दुओं की सूचनाएं चाही थी। **इसलिए राज्य लोक सूचना अधिकारी को उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 08.03.2018 में अंकित सूचनाओं के सम्बन्ध में ही सूचना अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत दिये जाने अथवा न दिये जाने के सम्बन्ध में ही विचार किया जाना आवश्यक था, न कि अपीलार्थी को वांछित सूचनाओं की विशिष्टयां अंकित कर निर्धारित प्रपत्र में आवेदन शुल्क साहित आवेदन करने हेतु निर्देशित करना। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के निपटारे के सम्बन्ध में धारा 7 अवलोकनीय है, जो निम्न प्रकार से है :**

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

धारा 7 अनुरोध का निपटारा :

(1) धारा 5 की उप धारा (2)के परंतुक या धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विर्निदिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।

परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

लोक सूचना अधिकारी को अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 08.03.2018 इस आधार पर खारिज किया गया है कि वांछित सूचना की विशिष्टयां अंकित कर निर्धारित प्रपत्र मे आवेदन शुल्क सहित आवेदन करें, जबकि उक्त अधिनियम की धारा 7 में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत ही अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में निर्णय किया जाना चाहिए था। इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी का निर्णय दिनांक 06.04.2018 उक्त प्रावधानों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। ऐसी दशा में अपीलार्थी की अपील स्वीकार करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर **प्रार्थी की अपील स्वीकार** की जाती हैं और **अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) एवं लोक सूचना अधिकारी, श्रीगंगानगर का आदेश दिनांक 06.04.2018 निरस्त किया जाता** है और मामला पुनः इस **निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना दिनांक 08.03.2018 में वांछित सूचनाएं जो देय हो वे नियमानुसार अपीलार्थी को उपलब्ध करवा दी जावे और जो सूचनाएं, सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत देय नहीं हो, के सम्बन्ध में अपीलार्थी को कारण सहित सूचित किया जावे।** आदेश की प्रति अति. जिला कलक्टर प्रशासन एवं राज्य लोक सूचना अधिकारी श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 09.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर